(c) The contract period is from 1.1.1998 to 31.3.1999.

कुछ राज्यों में इस्पात क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए समिति

1324. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में इस्पात क्षेत्र के कार्यक्रमों को अन्तिम रूप देने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) क्या सरकार ने दूसरे क्षेत्रों के लिए भी ऐसी ही समितियां गठित करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है;

(ग) क्या सरकार को इन समितियों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा उनके कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) जी नहीं। सरकार को गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश अथवा अन्य राज्यों में इस्पात क्षेत्र के लिए कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के लिए किसी समिति के गठन की जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त को ध्यान मे रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात के निर्यात हेतु नए बाजार

1325. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस्पात के निर्यात हेतु नये बाजारों का पता लगाने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत वर्षों के दौरान किसी विशिष्ट निर्यात हेतु किन्हीं नये बाजारों का पता लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस्पात के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ङ) मौजूदा नीति के अनुसार लोहे और इस्पात का निर्यात निर्बाध रूप से करने की अनुमति है। लोहे और इस्पात का निर्यात और वह स्थान, जहां निर्यात करना है, अनेक घटकों, जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मांग, घरेलू मूल्य, आयातक देशों में मूल्य आदि, पर निर्भर करता है। ये घटक प्रायः परिवर्तनशील होते हैं और बार-बार बदलते रहते हैं मौजूदा बाजार परिस्थितियों के आधार पर उद्यमी स्वयं निर्यात बाजार तलाश करते हैं और उनमें प्रवेश करते हैं। तथापि, सरकार ने निर्यात संवर्धन और बाजार के विकास हेतु 5.00 करोड़ रुपए निर्धारित करने का निश्चय किया है।

लोहे और इस्पात के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात की अध्यक्षता में एक इस्पात निर्यातक मंच की स्थापना की है। प्रमुख इस्पात उत्पादक और एसोसिएशनें इसकी सदस्य हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इस मंच के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) ऐसे तरीकों द्वारा लोहे और इस्पात के निर्यात का समर्थन, संरक्षण, अनुरक्षण, वृद्धि और संवर्धन करना जो आवश्यक अथवा शीघ्र हों।

(ख) सघन बाजार अनुसंधान के जरिए संभावित निर्यात बाजार का पता लगाना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विशिष्ट मांग की पूर्ति हेतु उत्पादों का विकास करना।

निर्यात की सुविधा के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ अन्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) निर्यात आय की बाजार विनिमय दर पर पूर्णतः परिवर्तनीयता,

(ii) अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अंतर्गत बिना शुल्क के कच्चे माल की अपनी आवश्यकता का आयात करने के लिए निर्यातकों को सुविधा उपलब्ध है।

(iii) निर्यात वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त किसी आयातित अथवा शुल्क योग्य सामग्री पर भुगतान किए गए शुल्क को वापिस करना।

(iv) धारा 80 एच एच सी के अन्तर्गत निर्यात आय को आयकर से छूट देना।

(v) लोहे और इस्पात के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए लोहे और इस्पात की अधिकांश मदों की ड्यूटी इन्फ्राइटेलमेन्ट

पास बुक (डी०ई०पी०बी०) योजना के अंतर्गत शुल्क शाखा दरों में वृद्धि करना।

Domestic Steel Units hit by Demand Constraints

1326. SHRI PRANAB MUKHERJEE: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether domestic steel units are hit by demand constraint;

(b) whether the problems of the indigenous producers have been compunded by the dumping problem mainly from the Commonwealth of the Independent States;

(c) whether the industry has demanded adjustment of excise on different products so that it can compete with import; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) Yes, Sir.

(b) It is a fact that with the lowering of import duties in the recent years, the indigenous producers have had to face increasing competition from imports. Imports from CIS countries had increased during April—Dec. 97 in comparison to imports during the corresponding period in 1996.

(c) and (d) The steel industry has been requesting for reduction in excise duty on different steel products. These requests have been duly considered by Government.

Cheating by Reputed Building Construction Companies of Delhi

1327. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the cheating being indulged in by "reputed" building construction companies of Delhi including the Ansals, particularly while cancelling allotments for non-payment of instalments of flats under construction on SFS style;

(b) if so, whether Government are aware of the fact that some of these builder companies charge 20—25% of the estimated cost and not of the registration money as charged by DDA/GDA/MDA etc.; and

(c) if so, the steps taken by Government to stop this practice?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): (a) and (b) Instances of cheating by construction companies of Delhi have been highlighted in the representations addressed to the Government from time to time. Specific instances not brought to the notice of the Government.

(c) The cases against the dis-honest builders can presently be filed under Consumer Protection Act 1986 and also under the Indian Penal Code. However, the Government is considering to frame a specific Legislation for regulating activities of promoters, builders and property agents in Delhi in order to address these problems.

Maharashtra Water Supply and Sewerage Project Stage-II

1328. SHRIMATI MALTI SHARMA: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the present status of the Maharashtra water supply and sewarage project stage-II;

(b) by when the work of this project will be taken up for execution; and

(c) the expected period required for its completions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): (a) The Government of Maharashtra has reported that as